

## समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) की अधिसूचना

(देखें नियम 6 का उप-नियम (1))

- (i) परियोजना का नाम- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गोड्डा द्वारा अधियाचित प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण- नयानगर से हनवारा पथ (बिहार बॉर्डर) भाया मिल्की, परसा, नरोत्तमपुर, डुमरिया एवं रामकोल में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पथ निर्माण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार- महागामा अंचल अंतर्गत मौजा- (1) बेलडीहा नं0- 21, (2) डुमरिया कला नं0- 466, (3) नरायणी नं0- 449, (4) बैरियाचक नं0- 451, (5) हनवारा सीट नं0- 2 नं0- 456, (6) मिल्की हनवारा नं0- 455, (7) रामकोल नं0- 457, (8) नरायणपुर दोयमपट्टी नं0- 460, (9) नरायणपुर सेमपट्टी नं0- 462, (10) चकचामू नं0- 463, (11) बैजाचक नं0- 464, (12) डुमरिया खुर्द नं0- 465, (13) नरोत्तमपुर नं0- 467, (14) संगरामपुर नं0- 469, (15) पड़रिया नं0- 470, (16) परसा सीट-1 नं0- 471, (17) परसा सीट नं0- 2 नं0- 471, (18) हनवारा सीट-1 नं0- 456, (19) कोयला सीट नं0- 2 नं0- 473, (20) सारथु नं0- 479, (21) नयानगर नं0- 493, (22) बटुआकित्ता नं0- 476, 477, 478, कुल रकवा- 88.581 एकड़ सभी मौजा अंचल महागामा परियोजना क्षेत्र और एस0 आई0 ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र- महागामा अंचल अंतर्गत। एस0 आई0 ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप निम्नप्रकार होगी :-

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) समिति सोशल एक्शन फोर रुरल डवलवमेंट (शारदा), छोटकी मुर्म, रामगढ़ द्वारा प्रस्तुत Detail Term of Reference के सभी शर्तों अपर समाहर्ता-सह-समाहर्ता (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर), गोड्डा के पत्रांक- 668/भूअ0 दिनांक- 20.04.2017 द्वारा निर्गत निदेश तथा झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम- 2015 के नियामावली 10 अधिनियम के अंतर्गत दिये गये सभी दायित्वों को पूर्ण कराने की जिम्मेवारी होगी। मुख्य रूप से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है।

- (क) प्रस्तावित परियोजना, जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी,
- (ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,
- (ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है,
- (घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,

complete done  
1/11/17  
06/06/17

Chandan  
09/05/17

- (ड) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु-फसली भूमि है और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,
- (च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्यसंक्रांत, पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लॉट के लिए उपयोग नियत हो,
- (छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना है।
- (ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,
- (झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,
- (ञ) धृतियों का आकर, स्वामित्व पैटर्न, भूमि-वितरण, आवासीय घरों की संख्या निजी एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना तथा परिसंपत्तियों,
- (ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षों में भूमि का उपयोग

इसी प्रक्रिया के साथ-साथ रैयतों के भू-अर्जन के प्रस्ताव व सहमति की कार्रवाई की जानी है।

(iii) एस0 आई0 ए0 के लिए टाईमलाईन निम्नप्रकार होगी :-

- (क) अर्जनाधीन क्षेत्र का दौरा एवं रैयतों से सम्पर्क स्थापित करना।
- (ख) परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाली परिवारों को सूचीबद्ध करना।
- (ग) समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) प्रतिवेदन एवं एस0 आई0 एम0 पी0 पर रैयती की सुनवाई।
- (घ) एस0 आई0 ए0 एवं एस0 आई0 एम0 पी0 प्रतिवेदन समर्पित करना तथा प्रभावित परिवारों की सहमति प्रक्रिया।
- (ड) एस0 आई0 ए0 से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन।

उपरोक्त टाईम लाईन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से गणना की जायेगी।

(iv) इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा। एस0 आई0 ए0 इकाई की सम्पर्क सूचना निम्नप्रकार है :-

श्री शिशिर कुमार, स्टेट हेड, मोबाईल नं0- 9468928837

अपर समाहर्ता, गोड्डा, दूरभाष नं0- 8294873800

आम जनों को किसी भी तहत की समस्या होने पर उपरोक्त दूरभाष नं0 पर सम्पर्क अथवा कार्यालय में लिखित आवेदन दे सकते है।

अपर समाहर्ता-सिंह-समाहर्ता  
गोड्डा (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर)

ज्ञापांक .....703...../भू0अ0 दिनांक :- 03/05/2017.....।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

अपर समाहर्ता-सह-समाहर्ता  
गोड्डा (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर)

ज्ञापांक .....703...../भू0अ0 दिनांक :- 03/05/2017.....।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथा शीघ्र दो दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।

अपर समाहर्ता-सह-समाहर्ता  
गोड्डा (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर)

ज्ञापांक .....703...../भू0अ0 दिनांक :- 03/05/2017.....।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, महागामा/सभी मुखियागण ...../ संबंधित ग्राम पंचायत सदस्यों ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा के सहज दृश्य स्थलों पर आम नोटिस के रूप में चिपकाना सुनिश्चित करावें।

अपर समाहर्ता-सह-समाहर्ता  
गोड्डा (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर)

ज्ञापांक .....703...../भू0अ0 दिनांक :- 03/05/2017.....।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा/प्रबंध निदेशक-सह-सचिव, सोशल एक्शन फोर रूरल डवलवमेंट (शारदा), छोटकी मुरम, रामगढ़/अधियाची पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्ता-सह-समाहर्ता  
गोड्डा (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर)